


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द
(श्री राकेश कुमार R.A.S. द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या : 15/2018
दायर दिनांक : 29.08.2018
निर्णय दिनांक : 05.02.2019

अनवान मु.

1. भगवान लाल पुत्र भेरा कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. भंवरलाल पिता मोडीराम व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. नारू पिता डालू कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. नारू पिता जयराम कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. पेमा पिता करमा कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. देवीलाल पिता मांगु कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. नानुराम पिता हीरा कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. सुरेश पिता हजारी कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. सुखराम पिता आसु कुमावत व अन्य नि0 बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. सम्पतलाल पुत्र रामचन्द्र कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. हजारी नानुराम मांगी पिता गोपु कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. सुखराम उदयलाल पिता आसु कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. शंकर तुलसीराम पिता रामचन्द्र कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. पेमराज पिता केश कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
15. गणेश पिता केशु माली निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
16. केशुराम पिता मोहनलाल ब्रह्मण निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
17. बंजारा नाथू पिता भुवाना व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
18. मांगुपुरी शंकरपुरी पिता डालुपुरी गुसाईं निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
19. शंकरलाल पिता रामा खाती व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
20. जसराम पिता नोला, बंशीलाल रामलाल पिता मीदू व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द



21. बैरूलाल पिता देवा दर्जी निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
22. श्यामलाल पिता नोला दर्जी निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
23. मांगीलाल सीता पिता वरदा खाती निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
24. रतनलाल पिता मथुरालाल व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
25. महेश चन्द्र पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
26. सुखलाल पिता प्रताप कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
27. सोहनलाल मदनलाल पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
28. सुरेश चन्द्र पिता नानूराम ब्राह्मण निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
29. ओमप्रकाश नारायणलाल पिता रामचन्द्र महाजन व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
30. नाथूलाल, बाबूलाल पिता चतरभूज महाजन व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
31. नारायण सुनिल पिता शंकरलाल महाजन व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
32. जगन्नाथ, बक्षीराम पिता रामसुख महाजन व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
33. राधेश्याम मुकेश चन्द्र पिता रामसुख महाजन निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
34. मांगीलाल, जगदीशचन्द्र पिता रामचन्द्र ननवाणा बोहरा व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
35. मदनलाल पिता छोगालाल महाजन निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
36. जानकीलाल दिलीपकुमार पिता स्व. गोविन्दराम महाजन व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
37. शंकरलाल पिता गोकल, रतनलाल कैलाश पिता लहरू व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
38. देवीलाल पिता सेजा माली निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
39. रतनलाल कैलाश पिता लहरू मोहनी व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
40. भंवरलाल पिता खेमा, हीरालाल पेमा पिता वेणा माली व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
41. मोहनलाल नोजी पिता हजारी माली व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द



42. लहरूलाल पिता कजोडीमल ब्राह्मण निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
43. राजेन्द्र, लीलाधर पिता गोवधनलाल ब्राह्मण व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
44. रामचन्द्र श्यामलाल पिता हिरालाल ब्राह्मण व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
45. छोगा नानू पिता किशना कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
46. चान्दीबाइ पति सुखलाल कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
47. गोकल पिता चतरभूज कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
48. खेमराज गोपाल पिता उंकारलाल सेवक व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
49. भवंरलाल मु. गोपीलाल सेवक निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
50. छीतर मुतबन्ना मोती सेवक निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
51. मांगू पिता चम्पा लाल लोहार निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
52. कंकु बैवा सवाईराम, किशन, मोहन पिता गोकल जी माली व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द ।
53. रतन मुतबना वरदा माली व जानकीलाल पिता गोविन्दलाल महाजन निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
54. मांगीलाल, प्रभुलाल पिता वेणीराम कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
55. मीठालाल पिता जयकिशन कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
56. मोहन, हेमा पिता लालु शम्भु हीरा गोपाल पिता डालु कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
57. भेरूलाल बद्रीलाल पिता लेहरूलाल कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
58. बद्रीलाल जयचन्द्र पिता रामा कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
59. प्रभुलाल शम्भुलाल पिता खेमा व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
60. भेरा पिता हेमा कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
61. मांगीलाल, पुष्करलाल पिता तुलसीराम महाजन निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
62. रामेश्वरलाल पिता परशराम महाजन निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
63. बालुराम पिता मांगीलाल, बक्षीराम पिता भेरा कुमावत व अन्य निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
64. मांगीलाल पिता चतरभुज, हीरालाल मु. तलोक कुमावत निवासी बामनिया कलां त0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
65. अन्य समस्त खातेदार/काश्तकार पटवार हल्का बामनिया कलां निवासी बामनिया कलां तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द ।



अपील विरुद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 1338 व 1339 ग्राम बामनिया कलां तहसील रेलमगरा आदेश दिनांक 18.03.2004 द्वारा तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री गिरीश तिवारी एडवोकेट अधिवक्ता अपीलाण्ट्स

अपीलाण्ट्स ने ग्राम बामनिया कलां के नामान्तरण सं. 1338 - 1339 पर अंकित आदेश दिनांक 18.03.2004 से व्यथित होकर यह प्रथम अपील धारा 75 L.R.Act 1956 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 23.08.2018 को इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है।

राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप - 3 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(8)राज.3/96 दिनांक 17.01.2002 के द्वारा माइनिंग लीज भूमियों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के दिशा निर्देश जारी हुए है, जिसके पैरा 5 में निर्देश है कि :-

5) खनिज विभाग सरकारी भूमि के वे खसरा नम्बर जो खनिज सम्भावित एरिया है, उनकी सूची तहसीलदार को भेजेंगे जो रेकार्ड के अन्दर खनिज सम्भावित होने का अंकन उन खसरा नम्बर के सामने करेंगे जो भूमि की किस्म के साथ - साथ खनिज सम्भावित क्षेत्र का अंकन भी करेंगे। ये इन्द्राज भी रेकार्ड के जरिये नामान्तरकरण किया जावेगा। ताकि खनिज सम्भावित क्षेत्र आवंटन या नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो सके। संबंधित उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के खनिज सम्भावित क्षेत्र का कोई आवंटन एवं नियमन नहीं हो सके।

निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान उदयपुर ने भी पत्रांक निर्दे/प.9/तक/165/2002 /1689 दिनांक 12.08.2002 के पैरा 02 में निर्देश जारी किये है कि :-

प्रधान खनिज के बड़े क्षेत्रों में जितनी भी सरकारी बिलानाम भूमि आती है उसे सम्पूर्ण क्षेत्र की जमाबन्दी में खनिज क्षेत्र अंकित किया जाय जैसा कि राजस्व विभाग को जारी परिपत्र में उल्लेख है ताकि लीज क्षेत्र में भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरण न हो सके।

उपरोक्त परिपत्रों की पालना में ग्राम बामनिया कलां की भूमियों के नामान्तरण संख्या 1338 व 1339 खोले गये है, जिसमें निजी खातेदारों की कृषि भूमियों भी उनकी मूल किस्म के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से खनन क्षेत्र अंकित कर दी है, जिसे तहसीलदार रेलमगरा ने दिनांक 18.03.2004 को स्वीकृत कर दिया है, यही इस अपील का कारण है।

अपीलाण्ट्स ने विलम्ब अवधि कन्डोन करने के लिए प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम 1963 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसका रेस्पोडेण्ट ने कोई प्रतिवाद/खण्डन नहीं किया है, अतः प्रार्थना पत्र पर्याप्त न्यायोचित आधार पर होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील अन्दर मयाद स्वीकार करने के आदेश दिये जाते है।

रेस्पोडेन्ट ने अपील का दिनांक 13.09.20018 को जवाब प्रस्तुत कर जवाब के पैरा 01 में राज्य सरकार के राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 17.01.2002 को स्वीकार किया है, तथा जवाब के पैरा 02 में कथन व्यक्त किया है कि खान विभाग द्वारा जो सूचियां उपलब्ध करायी थी, उसमें सरकारी भूमि के साथ - साथ अन्य भूमियों का विवरण नहीं दर्शाया था, उच्चाधिकारियों के तत्काल पालना के निर्देशों की त्वरित पालना किये जाने से भी सरकारी भूमियों के साथ - साथ काश्तकारों की निजी भूमियों के खसरा नम्बर की किस्म के साथ - साथ खनन क्षेत्र का अंकन किया है, किसी निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने का तथ्य एवं विवरण कतई स्वीकार योग्य नहीं है। किस्म परिवर्तन नहीं कर खनन एरिया में आने वाली भूमियों के खसरा नम्बर की किस्म के साथ - साथ खनन क्षेत्र अंकित किया है, इसके लिए अपीलाण्ट्स को सुनवाई के अधिकार का प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार/खान विभाग के जिन परिपत्रों के निर्देशों के आधार पर दोनों नामान्तरण खोले जा कर निजी भूमियों के खनन क्षेत्र के अंकन स्वीकृत किये गये हैं, वे निर्देश खातेदारों की निजी भूमियों के लिए नहीं होकर स्पष्टतः सरकारी भूमियों के लिए हैं, प्रथम दृष्ट्या मूलतः सरकारी भूमियों के साथ - साथ निजी भूमियों को नामान्तरण में बिना किसी आदेश के शामिल करना विधि शून्य है। रेस्पोडेन्ट ने परिपत्रों का गहराई से अवलोकन नहीं कर शीघ्रतावश सरकारी भूमियों के साथ - साथ निजी भूमियों को भी खनन क्षेत्र स्वीकृत कर भारी भूल की है। स्पष्टतः रेस्पोडेन्ट ने परिपत्रों के निर्देशों के विपरीत आदेश पारित किया है, जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं था।

नामान्तरण स्वीकृत करना एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें सुनवाई के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधान, स्वतः सहज न्याय हेतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है, इसमें पृथक से किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपीलाण्ट्स के स्वामित्व एवं हितों में राजस्व अभिलेख में कमी-पैशी या परिवर्तन मन मकसूद तरीके से नहीं किया जा सकता है, यदि राजस्व अभिलेख में किसी परिवर्तन की रेस्पोडेन्ट को कोई आवश्यकता प्रतीत हो और ऐसे परिवर्तन से कृषकों के हित प्रभावित होते हो तो ऐसे मामलों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना आज्ञापक है, जिसकी पालना रेस्पोडेन्ट ने नहीं की है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरण संख्या 1338 व 1339 पर अंकित आदेश दिनांक 18.03.2004 अपास्त कर निजी खातेदारों की कृषि भूमियों की किस्म "खनन क्षेत्र" का अंकन हटाने का आदेश फरमावे।

मैंने अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकर किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि रेस्पोडेन्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 17.01.2002 की पालना में नामान्तरण संख्या 1338 व 1339 में निजी खातेदारों की कृषि भूमियां मूल किस्म के साथ - साथ "खनन क्षेत्र" का अंकन स्वीकृत किया है, जब कि इस परिपत्र दिनांक 17.01.2002 के पैरा 05 में स्पष्ट निर्देश है कि खनिज विभाग सरकारी भूमि के वे खसरा नम्बर जो खनिज सम्भावित एरिया है की सूची तहसीलदार को भेजेगें, जो रेकार्ड के अन्दर खनिज सम्भावित होने का अंकन उन खसरा नम्बर के सामने करेगें, यानि केवल सरकारी भूमि के लिए ही निर्देश है, निजी खातेदारों की भूमि के कोई निर्देश नहीं है।

स्पष्टतः रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्देशों की तरफ गम्भीरता से ध्यान नहीं देकर सरकारी भूमियों के अलावा निजी कृषकों की भूमियों की मूल किस्म के साथ खनन क्षेत्र अंकित कर दिया है, यह अंकन किस आधार पर किया है ? स्पष्टतः कोई

न्यायोचित कारण रेस्पोजेण्ट ने मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोजेण्ट ने अपने जवाब दिनांक 18.09.2018 में उपरोक्त परिपत्र दिनांक 17.01.2002 को स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि त्वरित पालना की कार्यवाही में सरकारी भूमि के साथ - साथ निजी कृषकों की भूमियां को "खनन क्षेत्र" दर्ज कर दिया था। रेस्पोजेण्ट के इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें अपील स्वीकार है।

निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग के द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पत्र दिनांक 12.08.2002 में भी स्पष्ट निर्देश है कि जितनी भी सरकारी बिलानाम भूमि खनिज क्षेत्र में आती है, उनको जमाबन्दी में खनिज क्षेत्र अंकित किया जावे। जिला कलक्टर राजसमन्द ने भी पत्रांक राजस्व/4409-23 दिनांक 30.08.2002 से तहसीलदारों को उपरोक्त परिपत्रों की पालना के निर्देश दिये हैं।


उपरोक्त परिपत्रों से अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट के कथन को बल मिलता है, रेस्पोजेण्ट ने अपील के खण्डन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे कि अपील स्वीकार योग्य नहीं हो।

उपरोक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हू कि प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट् स्वीकार की जाकर अधिनस्थ तहसीलदार का नामान्तरण सं. 1338 व 1339 पर निजी खातेदारों की किस्म "खनन क्षेत्र" अंकन स्वीकृत आदेश दिनांक 18.03.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रेलमगरा को रिमाण्डकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 17.01.2002 एवं 30.08.2002 के निर्देशों की समुचित पालना करते हुए केवल सरकारी भूमि के संबंध में खनन क्षेत्र अंकन कर नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकेश कुमार, RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द